

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-27/15

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 14.10.15

महेश प्रसाद भटेले पुत्र रामरतन भटेले आयु 54 वर्ष
जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड क्रमांक 10 बड़ा बाजार
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अपीलाथी/वादी

विरुद्ध

1. रामरतन पुत्र दीनानाथ भटेले आयु 75 साल
2. प्रवेश आयु 51 वर्ष
3. गिरजाशंकर आयु 42 वर्ष पुत्रगण रामरतन भटेले
समस्त जाति ब्राह्मण
4. सुनीता विधवा पत्नी ओमप्रकाश आयु 42 वर्ष
5. सुबोध आयु 23 वर्ष
6. शिवम आयु 12 साल नाबालिक पुत्रगण ओमप्रकाश
7. सोनम पुत्री ओमप्रकाश आयु 14 वर्ष नाबालिक व
सरपरस्त मां खुद सुनीता विधवा पत्नी ओमप्रकाश
समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नंबर 10 बड़ा
बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
8. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड के अतिरिक्त
न्यायाधीश (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 12ए/15
में घोषित निर्णय दिनांक 22.09.15 से उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

अपीलार्थी द्वारा श्री एच. एस. शुक्ला अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 02 द्वारा श्री राधामोहन शर्मा अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 03 लगायत 08 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.11.17 को घोषित)

1. यह अपील व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-96 के तहत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड के अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 12ए/15 उनवान महेश प्रसाद भटेले विरुद्ध रामरतन एवं अन्य में घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.15 से व्यथित होकर

प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/वादी की ओर विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 841 रकवा 1.839 में से मिन रकवा 0.348, सर्वे क्रमांक 2742/1 रकवा 0.648 एवं सर्वे क्रमांक 2912 रकवा 0.815 स्थित कस्बा गोहद, परगना गोहद के 1/5 भाग के संबंध में प्रस्तुत स्वत्व घोषणा, बटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त कर दिया गया है।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि उपरोक्त विवादित भूमियां प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन पुत्र दीनानाथ भट्टेले के नाम से राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज है। रामरतन के चार पुत्र हैं— वादी महेश, प्रतिवादी क्रमांक 02 प्रवेश, ओमप्रकाश एवं प्रतिवादी क्रमांक 03 गिरिजा शंकर। ओमप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी क्रमांक 04 सुनीता उसकी पत्नी है। प्रतिवादी क्रमांक 05 सुबोध एवं प्रतिवादी क्रमांक 06 शिवम उसके पुत्र हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 07 सोनम उसकी पुत्री है।
3. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी के यह अभिवचन रहे हैं कि विवादित भूमि पैतृक अविभाजित हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति है। उभयपक्ष अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य बनारस स्कूल से पाबंद है। इस कारण वादी का विवादित भूमि में 1/5 का जन्मजात हिस्सा होकर वह 1/5 हिस्से का उत्तराधिकारी होकर भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी, आधिपत्यधारी की भांति अंकित है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जो प्रतिवादी क्रमांक 01 को वादी के दादा दीनानाथ से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रमांक 01 की वृद्धावस्था के कारण वे सोचने समझने में असमर्थ हैं। परिवार के बहकावे में आकर विवादित भूमि को अन्यत्र अंतरण करने की फिराक में है। दिनांक 25.12.11 को प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादी के स्वत्व से इन्कारी होने तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 लगायत 07 के द्वारा विवादित भूमि को अंतरित करने की निरंतर धौंस देने से वादकारण उत्पन्न है। उक्त आधारों पर विवादित भूमि के 1/5 हिस्से का भूमि स्वामी तथा आधिपत्यधारी घोषित किए जाने, विवादित भूमि का बटवारा कर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज कराए जाने की तथा स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई।
4. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 04 लगायत 08 विधिवत् तामील होने के पश्चात प्रकरण की कार्यवाहियों में अनुपस्थित हो गए, उनके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया। उनकी ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01, प्रतिवादी क्रमांक 02 तथा प्रतिवादी क्रमांक 03 की ओर से प्रथक-प्रथक रूप से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किए गए तथा वादी के अभिवचनों का सामान्य एवं विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर दिया गया और यह अभिवचन किया गया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है, अपितु स्वअर्जित सम्पत्ति है। दीनानाथ के द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत द्वारा सर्वे क्रमांक 2742/1 एवं 2912 का संपूर्ण रकवा प्रतिवादी क्रमांक 01 को दिया गया तथा सर्वे क्रमांक 841 में से रकवा 06 बिस्वा जरिए विक्रयपत्र दीनानाथ से प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विक्रय किया है तथा सर्वे क्रमांक 841 का शेष रकवा प्रतिवादी क्रमांक 01 को श्रीमती बैकुंठी बाई द्वारा की गई वसीयत से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। वादी का विवादित भूमि में कोई हक नहीं है। विवादित भूमि पैतृक अविभाजित हिन्दू सहदायिकी की सम्पत्ति नहीं है और न ही वादी तथा प्रतिवादीगण अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य हैं और न ही बनारस स्कूल के पाबंद है बल्कि प्रतिवादी क्रमांक 01 और प्रतिवादी क्रमांक 02, 03 तथा प्रतिवादी क्रमांक 04, 05, 06 एवं वादी का पृथक पृथक परिवार है और काफी समय पहिले से ही वह पृथक पृथक निवास कर, पृथक-पृथक खानपान एवं व्यवसाय करते हैं। वादी का विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा नहीं है। वादी का विवादित भूमि पर न तो कभी पूर्व में कब्जा रहा है और न ही वर्तमान में है। वादी कई वर्षों से परिवार से पृथक होकर बाहर रहता चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 विवादित भूमि पर मौके पर काबिज होकर खेती कर रहा है। वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा नहीं किया है। वादी ने अपनी आयु को गलत लिखा है। वास्तव में वादी जून 1976 में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर बालिग हो चुका था। प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वत्व व आधिपत्य की जानकारी वादी को काफी समय पूर्व से चली आ रही है, वादी ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। इस कारण दावा अवधि बाह्य है। उक्त आधारों पर वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये जाकर उनके निष्कर्ष निम्नानुसार उनके समक्ष अंकित किये गये:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 841 रकवा 1.839 मे मिन रकवा 0.348, सर्वे क्रमांक 2742/1 रकवा 0.648, सर्वे क्रमांक 2912	प्रमाणित नहीं ।

रकवा 0.815 कस्बा गोहद में भाग 1/5 का भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है ?	
2. क्या वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायक सम्पत्ति है ?	प्रमाणित नहीं।
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 ने विवादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से अंतरित अथवा वयनित करने का प्रयास किया गया ?	नहीं।
4. क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्याय शुल्क अदा किया गया ?	हां।
5. क्या वादी का दावा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा-34 के तहत कब्जा की सहायता नहीं चाहे जाने के कारण अप्रचलनशील है ?	नहीं।
6. क्या वादी का दावा अवधि बाह्य है ?	नहीं।
7. सहायता एवं व्यय	वाद निरस्त किया गया।

7. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने खसरे के दस्तावेजों पर पैतृकता का भ्रामक अर्थ निकालकर आलोच्य निर्णय पारित करने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है। प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत वसीयत व विक्रयपत्र से विवादित भूमि प्रतिवादी को दीनानाथ से प्राप्त होना स्वीकृत तथ्य है, जो पैतृक भूमि की परिभाषा में आती है। परंतु विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त सम्पत्ति को स्वअर्जित सम्पत्ति मानकर कानूनी भूल की है। वादी के पितामाह द्वारा कोई बटवारा वादी के मुकाबले नहीं किया गया है। इसलिए उक्त सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पत्ति थी। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद प्रश्न क्रमांक 02 वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं मानने में कानूनी भूल की है। विवादित भूमि के पैतृक होने के कारण वादी के पितामाह को अंतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी क्रमांक 01 के हित में कोई अंतरण या अपनी पत्नी बैकुंठी बाई के हक में कोई अंतरण विलेख या वसीयत निष्पादित किया है तो वह वादी के मुकाबले प्रभावहीन होकर शून्य है। सहदायिकी सम्पत्ति का विघटन सम्पत्ति के बटवारे द्वारा ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हिन्दू विधि के अधीन सहदायिकी की व्याख्या से हटकर गलत अर्थ निकालकर आलोच्य आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी भूल कारित की है। उक्त आधारों पर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.15 को अपास्त किया जाकर वादी के हित में 1/5 हिस्से के संबंध में डिक्री दिए जाने की प्रार्थना की गई

है।

8. प्रत्यर्थी क्रमांक 03 लगायत 08 को विधिवत् तामील होने के पश्चात से प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए, उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश किया गया। उनके विरुद्ध यह निर्णय एकपक्षीय रूप से किया जा रहा है। प्रत्यर्थी क्रमांक 01 एवं 02 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पत्ति नहीं थी। वह दीनानाथ की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 01 ने वसीयत के द्वारा एवं विक्रय के द्वारा दीनानाथ से अर्जित किया था। कुछ भूमि बैकुंठीबाई से वसीयत से अर्जित की गई थी। इस प्रकार विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है। यह मान्य करते हुए विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है। उक्त निर्णय एवं डिक्री हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। अपील निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.15 की पुष्टि किए जाने की प्रार्थना की गई है।

9. इस अपील के विधिवत् निराकरण के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि होकर अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति है ?
2. क्या वादी विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?
3. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा विवादित भूमि को अवैध रूप से अंतरित करने का प्रयास किया जा रहा है ?
4. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.15 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-

10. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 22.09.15 के पैरा-14 में यह मान्य किया है कि वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 03.09.89 को स्व० दीनानाथ ने गिरजाशंकर एवं बैकुंठी बाई के नाम से वसीयत की थी, ऐसी स्थिति में यह दर्शित है कि वादी महेश वा०सा०-01 को

दिनांक 03.09.89 के वसीयतनामे की जानकारी थी। पैरा-15 में यह मान्य किया है कि वादग्रस्त भूमि दीनानाथ के मरने के बाद प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन को उत्तराधिकार अथवा उत्तरजीविता में प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन को प्र0डी0-09 एवं प्र0डी0-11 की वसीयत एवं प्र0डी0-13 के विक्रयपत्र द्वारा प्राप्त हुई है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित सम्पत्ति सहदायिकी सम्पत्ति न होकर प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति होने का निष्कर्ष दिया गया है। इस दृष्टि से यदि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई उभयपक्ष की साक्ष्य पर विचार करें तो प्रकट होता है कि वादी महेश प्रसाद भट्टेले वा0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में विवादित भूमि को पैतृक अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति होना बताया है। परंतु ऐसा कहीं नहीं बताया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का अविभाजित हिन्दू परिवार था।

11. महेश प्रसाद भट्टेले वा0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में स्पष्ट कर दिया है कि वह लक्ष्मण जी के मंदिर में उस समय अर्थात् जब वह 18 वर्ष का हो गया था तब दो चार साल ही रहा था और वह घर से अलग रहता था। यह भी स्वीकार किया है कि लक्ष्मणजी के मंदिर के बाद वार्ड नंबर 11 में स्थित दामोदर भट्टेले के मकान में अलग रहता था। सन् 1982 में मस्टर्ड पर नौकरी करने गोरघाट दतिया चला गया था और सात आठ साल काम किया था, हाईकोर्ट के आदेश से सबसे पहले दतिया जिले की स्योढ़ा तहसील में नौकरी की थी। पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि जब वह लक्ष्मण जी के मंदिर में घर से अलग रहा था तभी से वह रामरतन के परिवार से आज तक अलग रहता चला आ रहा है। यह भी स्वीकार किया है कि वह तभी से प्रथक रहकर स्वयं का व्यवसाय, मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रहा है तथा प्रथक प्रथक रूप से अपना खान पान कर रहा है। पैरा-20 में उसने यह स्वीकार किया है कि वह जब से 18 वर्ष का हुआ है, तब से लेकर आज तक अपने पिता के साथ कभी नहीं रहा है और न ही कोई सेवा की है।

12. महेश प्रसाद भट्टेले वा0सा0-01 ने पैरा-20 में ही यह स्वीकार किया है कि वह कहीं अलग रहता है और उसके पिता रामरतन कहीं और रहते हैं। यह भी स्वीकार किया है कि वह लगभग 40 सालों से अलग रहता है और उसका खाना पीना अलग है एवं उसके पिता का खाना पीना अलग है। वादी के ही साक्षी सुभाष चन्द्र भट्टेले वा0सा0-02 ने भी प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह स्वीकार किया है कि वादी महेश सन् 1975 से ही परिवार से अलग होकर रहता था और आज भी अलग रहता है। वादी के ही साक्षी लाखन वा0सा0-03 ने पैरा-04 में यह स्वीकार किया है

कि महेश अलग रहता है, उसका खाना अलग बनता है और अलग व्यापार होता है। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है वादी वयस्कता प्राप्त होने के पश्चात कभी भी अपने पिता के साथ नहीं रहा है और अन्य प्रतिवादीगण के साथ भी नहीं रहा है। वह सदैव अलग रहा है और उसका खाना पीना एवं रोजगार भी अलग है। ऐसी स्थिति में वादी और प्रतिवादीगण का अविभाजित हिन्दू परिवार होना प्रमाणित नहीं होता है।

13. जहां तक कि विवादित सम्पत्ति का प्रश्न है वसीयत नामे दिनांक 03.02.86 प्र0डी0-09 के अनुसार वादी के दादा अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन के पिता दीनानाथ के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 2912 रकवा 0.815 हेक्टे0 एवं सर्वे क्रमांक 2742 रकवा 0.648 हेक्टे0 प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन को दी गई है तथा उक्त घर व्यवस्थापन के आधार पर अपने अपने हिस्से पर सभी लोगों का कब्जा होना बताया है। उक्त प्र0डी0-09 के अनुसार दीनानाथ की अन्य कृषि भूमियां प्रथक से उसके पुत्र शिवरतन को भी दी गई है, पुत्र हरीशंकर को भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा शिवरतन व हरीशंकर को दी गई भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया गया है, जबकि उसी वसीयतनामे से भूमि रामरतन को भी मिली है। दीनानाथ ने सर्वे क्रमांक 841 रकवा 1.839 हेक्टे0 एवं सर्वे क्रमांक 842 रकवा 0.366 हेक्टे0 अपने पास रखते हुए मृत्यु के पश्चात अपनी पत्नी श्रीमती बैकुंठी बाई एवं नाती अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 03 गिरजा शंकर को दी है। इसी वसीयत के आधार पर तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 19/92-93/अ-06 में पारित आदेश दिनांक 18.10.93 प्र0डी0-10 के अनुसार राजस्व अभिलेख में उनके नाम दर्ज करने का आदेश किया गया है।
14. दीनानाथ के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन तथा हरीशंकर अर्थात अपने इन दोनों पुत्रगण को सर्वे क्रमांक 841 रकवा 1.839 की भूमि में से 0.125 हेक्टे0 विक्रय कर दिया है, जो कि दिनांक 28.04.93 को किया है। प्र0डी0-04 के अनुसार दिनांक 02.06.93 को दीनानाथ की मृत्यु हो गई थी। बैकुंठी बाई के द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 841 रकवा 0.857 आर व सर्वे क्रमांक 842 रकवा 0.090 में से हरीशंकर को 2/3 तथा रामरतन को 1/3 हिस्सा वसीयत दिनांक 11.03.94 प्र0डी0-11 के द्वारा दिया है। उसके पश्चात प्र0डी0-03 के मृत्यु प्रमाणपत्र के अनुसार बैकुंठी बाई की मृत्यु दिनांक 04.12.95 को हो गई है। तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार परगना गोहद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/95-96/अ-6 में पारित आदेश दिनांक 30.01.96 प्र0डी0-12 के अनुसार उक्त भूमि सर्वे क्रमांक 841 रकवा 0.857 तथा सर्वे क्रमांक 842 रकवा 0.090 हेक्टे0 पर 2/3 हिस्से पर हरीशंकर पुत्र दीनानाथ तथा 1/3

हिस्से पर रामरतन पुत्र दीनानाथ के नाम का नामांतरण हुआ है।

15. वादी महेश प्रसाद भट्टेले वा0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-08 में यह स्वीकार किया है कि उसने 1976 से अब तक विवादित भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। पैरा-10 में यह स्वीकार कर लिया है कि विवादित भूमि उसके बाबा दीनानाथ की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति थी। पैरा-11 में दीनानाथ के द्वारा रामरतन को भूमि विक्रय करने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। परंतु वहीं प्रतिपरीक्षण में पैरा-12 में यह स्वीकार किया है कि गिरजा शंकर के नाम से जो वसीयत हुई थी, वह दिनांक 03.02.89 को हुई थी। यह भी स्वीकार किया है कि जो वसीयत गिरजा शंकर को लिखी थी, उसमें बैकुंठी बाई पत्नी को भी हिस्सा दिया था। इस प्रकार दिनांक 03.02.89 की वसीयत अर्थात् प्र0डी0-09 की वसीयत की जानकारी होना वह स्वीकार करता है। परंतु वहीं सर्वे क्रमांक 2912 एवं 2742 को रामरतन को मिलने की जानकारी से अनभिज्ञता प्रकट करता है।
16. वादी महेश प्रसाद भट्टेले वा0सा0-01 पैरा-13 में यह स्वीकार करता है कि उसके बाबा दीनानाथ ने सर्वे क्रमांक 2912, 2742 अपने ज्येष्ठ पुत्र रामरतन के नाम, 2946, 2924, 840, 2931 सर्वे नंबर की जायदाद शिवरतन के नाम से और 2888, 2942, 838 तीसरे पुत्र हरीशंकर के नाम से वसीयत की थी, पहले यह तथ्य स्वीकार करके बाद में अनभिज्ञता प्रकट करता है कि वह नहीं बता सकता। जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि वादी को प्रारंभ से ही वसीयत की जानकारी रही है।
17. यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रारंभ से जानकारी नहीं थी, तब प्रतिवादी के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत करने पर उसे यह जानकारी हो गई थी कि उपरोक्त प्रकार से भूमियों की वसीयत की गई है तथा भूमियां रामरतन के द्वारा क्रय भी की गई हैं और उक्त आधार पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं। परंतु वादी की ओर से वसीयत प्र0डी0-09 एवं प्र0डी0-11 तथा विक्रयपत्र प्र0डी0-13 दिनांकित 28.04.93 एवं तहसीलदार के आदेश दिनांक 18.10.93 प्र0डी0-10 के आदेश दिनांक 30.01.96 प्र0डी0-12 को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नहीं की है। वसीयतों और विक्रयपत्रों को कोई चुनौती नहीं दी गई है और उन्हें शून्य और निष्प्रभावी घोषित कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार उपरोक्त सभी लिखतम एवं आदेश वर्तमान तक स्थिर है, जिनके प्रभाव से प्रतिवादीगण उक्त भूमियों के स्वामी हैं।
18. उक्त वसीयतें एवं विक्रयपत्र से विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन

को प्राप्त होना प्रकट और प्रमाणित होती है और इस आधार पर यह सम्पत्ति उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति हो जाती है। एक ओर वादी शिवरतन एवं हरीशंकर की भूमियों के संबंध में कोई चुनौती नहीं दे रहा है। वहीं उसी वसीयत से प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन के द्वारा अर्जित भूमियों को चुनौती दे रहा है। परंतु वादी अपने इस आचरण से विबंधित है। वह अप्रत्यक्ष रूप से वसीयत प्र0डी0-09 एवं प्र0डी0-11 एवं विक्रयपत्र प्र0पी0-13 को स्वीकार कर रहा है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमियां प्रतिवादी क्रमांक 01 रामरतन की स्वअर्जित सम्पत्ति होने से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि विवादित भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति है। ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह प्रमाणित मानने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि विवादित सम्पत्ति सहदायिकी सम्पत्ति नहीं है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष देने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02:-

19. यह विचारणीय बिन्दु विवादित भूमि के 1/5 हिस्से पर वादी का आधिपत्य होने के संबंध में है। जहां इस संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि यह प्रमाणित नहीं है कि वादी विवादित भूमि का आधिपत्यधारी है। इस संबंध में वादी महेश प्रसाद भट्टेले वा0सा0-01 ने मुख्यपरीक्षण में तो यह बताया है कि वह भूमि के 1/5 हिस्से का आधिपत्यधारी है। परंतु प्रतिपरीक्षण के पैरा-19 में यह स्वीकार किया है कि आज तक उसका नाम किसी भी खसरा खतौनी, भू अधिकार ऋण पुस्तिका में दर्ज नहीं है, अपितु उसके पिता का नाम दर्ज है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जिन खेतों को वह झगड़ा बता रहा है, उस पर मालिक एवं भूमि स्वामी के रूप में उसके पिता एवं उसके भाई गिरजा शंकर का नाम दर्ज है। पैरा-20 में उसने यह स्वीकार किया है कि फसल कई सालों से रामरतन लेता रहा है तथा विवादित खेतों में प्रतिवादी रामरतन खेती कर रहा है एवं फसल भी वही ले रहा है। यह भी स्वीकार किया है कि कब्जा रामरतन का है।
20. वादी के साक्षी सुभाष चन्द्र भट्टेले वा0सा0-02 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि विवादित जगह की संपूर्ण जगह पर कब्जा करके पूरी फसल का उपयोग रामरतन स्वयं ही कर रहे हैं और फसल को स्वयं ही ले रहे हैं। यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जगह को रामरतन ही मौके पर जुतवा रहा है एवं मौके पर खेती कर रहा है। वादी के ही अन्य साक्षी लाखन वा0सा0-03

ने भी प्रतिपरीक्षण में पैरा-03 में इन तथ्यों को स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी और उसके साक्षियों द्वारा ही यह स्वीकार कर लिया गया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 01 खेती कर रहा है और उसका ही कब्जा है। इस प्रकार इन्हीं आधारों पर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष दिए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि यह प्रमाणित नहीं है कि वादी विवादित भूमि पर आधिपत्यधारी है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 03:-

21. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान्य किया है कि चूंकि यह प्रमाणित नहीं है कि वादी विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी है अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी विवादित भूमि का विक्रय करने के लिए स्वतंत्र है और यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क्रमांक 01 अवैध रूप से विवादित भूमि का विक्रय करने के लिए प्रयासरत है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष किसी भी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है, क्योंकि जबकि वादी का स्वत्व व आधिपत्य ही प्रमाणित नहीं हुआ है तब ऐसी स्थिति में कोई वादकारण होना या प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के आधिपत्य में कोई दखल दिया जाना या भूमि को अवैध रूप से अंतरित किया जाना प्रमाणित नहीं होता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-04:-

22. इस प्रकार अपीलार्थी/वादी के द्वारा जो आधार लिए गए हैं वह अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार है तथा विवादित भूमि अविभाजित सहदायिकी सम्पत्ति है तथा वादी विवादित भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है। वादी यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 या अन्य प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि में वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है, या भूमि को अवैध रूप से अंतरित करने या प्रयास किया जा रहा है अपितु यह प्रकट हुआ है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 की स्वअर्जित सम्पत्ति है और उस पर उसका आधिपत्य है।
23. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं मानते हुए तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विवादित भूमि में वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जाना

प्रमाणित नहीं मानते हुए तथा यह मानते हुए कि वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में असफल रहा है, उक्त निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.15 किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है।

24. इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.15 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का विधिवत् अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 पर जो निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 841 रकवा 1.839 में से मिन रकवा 0.348, सर्वे क्रमांक 2742/1 रकवा 0.648 एवं सर्वे क्रमांक 2912 रकवा 0.815 स्थित कस्बा गोहद, परगना गोहद के 1/5 भाग के संबंध में अपीलार्थी/वादी के स्वत्व घोषणा, बंटवारा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त करने की जो आज्ञा दी गई है, वह हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।

25. तदनुसार अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय/डिक्री दिनांक 22.09.15 की पुष्टि की जाती है।

26. उभय पक्ष इस अपील का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपये लगाया जावे।

27. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड